



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय

पर्यावास भवन सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

सामान्य आवास योजना, सेजबहार फेस - II रायपुर, आवासीय भवन क्रय करने हेतु नियम / शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन EWS भवनो के पंजीयन हेतु आवेदन शुल्क रू. 200/-, LIG भवन हेतु रू. 300, Sr. MIG LIG एवं Jr. MIG हेतु रू. 1000/- है, जिसे ऑनलाईन भुगतान करेंगे। केवल नये पंजीयन कर्ताओं के लिए।
2. नियमानुसार LIG भवन हेतु रू. 50000/-, EWS भवन हेतु रू. 25000/- व अन्य (Sr. MIG व Jr. MIG भवन) हेतु घोषित मूल्य की 10% राशि ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ (ONLINE PAYMENT GATEWAY) के माध्यम से ऑनलाईन किया जावेगा।
3. यदि ऑनलाईन भुगतान पश्चात् बैंक से मण्डल को भुगतान की पुष्टि/सुनिश्चित न होने या फिर ट्रांजेक्शन असफल होने की स्थिति में चयनित भवन/भूखण्ड/दुकान ऑनलाईन पंजीयन विक्रय हेतु रोक कर रखा जावेगा एवं अगले कार्य दिवस को विक्रय हेतु खोला जावेगा।
4. पंजीयन के पश्चात भवन क्रमांक का आबंटन मण्डल नियमानुसार "प्रथम आओं प्रथम पाओं" पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने पश्चात यदि हितग्राही द्वारा राशि वापस मांग की जाती है तो नियमानुसार मण्डल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन में से 50% राशि कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
6. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किशतो निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किशत प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा।
7. मण्डल द्वारा योजना कार्यदिश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किशतो का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
8. आबंटी को भवन के मूल्य एवं गुणवक्ता पर या निर्माण संबंधी कोई आपत्ति जो सुधारी नहीं जा सकता है, तो वे अपना आबंटन निरस्त करा कर मण्डल में जमा राशि नियमानुसार बिना ब्याज के साथ राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
9. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे। भवनों में निर्माण हेतु योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।

10. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों की फ्रीहोल्ड विक्रय पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा।
11. आबंटित भूखण्ड का आधिपत्य के पूर्व फ्रीहोल्ड की संपरिवर्तन शुल्क एवं नियमानुसार देय राशि जमा कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जावें।
12. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं., ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
13. उक्त योजना छ0ग0 रेरा एवं मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर/ शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो आवेदक को भारित किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा देय होगा।
14. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तों समय पर चुकाना होगा, किश्तों समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
15. भूखण्ड का एकमुश्त/स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत क्रय करने पर संपूर्ण राशि जमा कर सेलडीड/ लीजडीड/फ्रीहोल्ड डीड निष्पादित होने के उपरांत एवं पंजीकृत सेलडीड/ लीजडीड/फ्री-होल्ड की सत्याप्रति प्रस्तुत करने पर ही आधिपत्य सौंपा जायेगा।
16. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
17. मण्डल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटी को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।
18. आधिपत्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर भवन का आधिपत्य आबंटी को लेना अनिवार्य है। 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् स्वमेव आधिपत्य लिया हुआ माना जावेगा कि आबंटी द्वारा भवन का आधिपत्य ले लिया गया है तथा देखरेख एवं रखरखाव की पूर्ण जवाबदारी आबंटी की होगी। मण्डल द्वारा 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् भवनों का रखरखाव/मरम्मत कार्य नहीं किया जावेगा। इस अवधि के पश्चात् पृथक से आधिपत्य की आवश्यकता नहीं होगी।
19. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।
(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

20. योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आबंटी को भवन आधिपत्य देने के पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण (Third Party Inspection) किया जावेगा, जिसमें एक पक्ष आबंटी, द्वितीय पक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता एवं तृतीय पक्ष मण्डल द्वारा आदेशित संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी होंगे। यदि निरीक्षण में कोई कमियां पायी जाती है तो कार्यपालन अभियंता 15 दिवस में उसका निराकरण कर आबंटी को सूचित करेंगे। यदि इसके पश्चात् भी आबंटी संतुष्ट नहीं हो तो उस क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को त्रुटियों/कमियों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालन अभियंता को 15 दिवस की अवधि में इसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। तदनुसार निराकरण पश्चात् यदि आबंटी फिर भी संतुष्ट न होने पर अपनी संपूर्ण जमा राशि मण्डल नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकता है।
21. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
22. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से योजनांतर्गत किश्ते जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती है तो मण्डल की अनुमति से उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल नियमानुसार भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस 02 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ हितग्राही को राशि जमा करना होगा।
23. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
24. योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटी को देना होगा।
25. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर/कार्यपालन अभियंता, संभाग-04, सेजबहार, रायपुर कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं मण्डल के वेबसाइट www.cghb.gov.in देखा जा सकता है।
26. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
27. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएँ ली जानी मण्डल हित में नहीं होगी, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि नियमानुसार ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
28. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे

विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

29. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
30. इस आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
31. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर एवं छ0ग0 रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
32. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
33. भवन का पूर्ण मूल्य आबंटन आदेश में अंकित किशतो का भुगतान हितग्राही को करना होगा। भवन का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा।
34. आबंटित भवन के मूल्य के समस्त किशतो के भुगतान पश्चात लीज एग्रीमेंट के अभिलेखों का पंजीयन रजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी कार्यालय में करने के पश्चात भवन का अधिपत्य प्रदान किया जायेगा।
35. आवेदक द्वारा भवन का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य एवम दुकानों का उपयोग केवल व्यवसायिक उद्देश्य हेतु किया जावेगा।
36. आबंटी आबंटित भू-खण्ड से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
37. यदि आबंटित भूखंड से लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो आबंटी की मांग पर उस अतिरिक्त भूखंड की राशि भुगतान करने पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त भूखंड आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार मंडल के पास सुरक्षित होगा। यदि मंडल चाहे तो उक्त अतिरिक्त भूखंड किसी अन्य हितग्राही को भी आबंटित कर सकता है, मंडल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
38. आबंटी, मण्डल व स्थानिय निकाय से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बगैर भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन नहीं कर सकेगा। निर्माण के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अनुमति/अनापत्ति दी जावेगी। तत्पश्चात ही निर्माण वैध माना जावेगा।
39. मण्डल द्वारा कॉलोनी का रखरखाव यथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड़ नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संपदा अधिकारी द्वारा प्रथम आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक किया जावेगा।

40. 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन नहीं होने पर आबंटियों के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनी वासियों की समिति का कार्यवाही सदस्य मानते हुए मण्डल के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों के पूर्ण कराया जावेगा।
41. (अ) आबंटी अधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर की समिति का सदस्य बनने के लिए सहमत होगा।
(ब) समिति गठन हेतु मण्डल के अधिकारी से समन्वय कर निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा अधिपत्य प्राप्त होने के तिथि 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा 51% अधिपत्य पश्चात् 05 वर्ष की अधिकतम समयावधि के लिए संधारण हेतु मण्डल उत्तरदायी होगा।
42. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर एवं कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-04, सेजबहार, रायपुर कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट www.cgghb.gov.in के अंतर्गत समृद्धि ऑनलाइन (SAMRIDDHI ONLINE) में देखी जा सकती हैं।